हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 14

सोमवार, 26 मार्च, 2018/5 चैत्र, 1940(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 2.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 2.00 बजे (अपराह्न) आरम्भ हुई।

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री राम लाल ठाकुर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने नियम-67 के अन्तर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चर्चा हेतु दिया था। इसलिए सबसे पहले उस पर चर्चा करने के लिए मुझे मौका दें।

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः-

"आज मध्याह्न 1.00 बजे नियम 67- के अन्तर्गत मुझे स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जोकि माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी द्वारा दी गई है। मैंने सारी स्थिति को गंभीरता से देखा। बजट सत्र में कटौती प्रस्तावों पर चर्चा लगी है और कटौती प्रस्तावों की चर्चा में सत्ता पक्ष के लोग भाग नहीं लेते हैं। आप ही लोगों के लिए वह सारी

चर्चा चार दिन तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त नियमों की परिधि में भी यह है कि बजट पर चर्चा चल रही हो, उस समय में नियम-67 या अन्य नियमों में चर्चा देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए नियम-67 के अन्तर्गत दिया गया विषय सामायिक नहीं है तथा अनुचित है।"

(माननीय अध्यक्ष के निर्णय से असंतुष्ट विपक्ष द्वारा अपराह्न 2.20 बजे सदन से बहिर्गमन किया गया)।

(अपराह्न 2.37 बजे विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में पुनः उपस्थित हुए)।

2.37 PM

1. प्रश्नोत्तरः

(I) तारांकित प्रश्नः

सदस्य की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्याः 161 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 162 व 163 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 164 से 218 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गये।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 19 से 32 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने सोमवार, 26 मार्च, 2018 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया ।

3. **<u>कागज़ात सभा पटल परः</u>**

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, सहायक जिला न्यायवादी, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः गृह-(जी)ए(3)/2013 दिनांक 18.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.11.2017 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, प्रचार सहायक, ग्रेड-II, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः पब-ए-(3)-44/99 दिनांक 28.08.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.09.2017 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी, वर्ग-II(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए-(3)-1/2013 दिनांक 15.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.09.2017 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, विज्ञापन रूपकार, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः पब-ए-(3)-4/2014 दिनांक 4.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 7.09.2017 को प्रकाशित;

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, तबला मास्टर, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः पब-ए 3(18)99 दिनांक 3.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.11.2017 को प्रकाशित;

(vi) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17; और

(vii) हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क संरचना विकास बोर्ड, शिमला का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 ।

(2) **श्री किशन कपूर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः5-17/2009-ईएलएन. दिनांक 3.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 6.11.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री अनिल शर्मा, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 ।

(4) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यजीवी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः फिश-ए(3)-4/2016 दिनांक 30.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.12.2017 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, फार्म सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःफिश-ए(3)-1/2016 दिनांक 27.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 5.01.2018 को प्रकाशित; और

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य क्षेत्रीय सहायक,

वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः फिश-ए(3)-5/2004-II दिनांक 9.02.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 3.03.2018 को प्रकाशित ।

4. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2017-18) ने समिति का **प्रथम मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि **हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम** द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

(2) श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18) ने समिति का **अष्टम मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः32 के अन्तर्गत **अनुसूचित जाति उप योजना** की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी

(3) श्री राकेश पठानिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2017-18) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **प्रथम मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)** जोकि मांग संख्याः21 के अन्तर्गत **सहकारिता विभाग** की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का **द्वितीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)** जोकि मांग संख्याः5 के अन्तर्गत **राजस्व विभाग** की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

(4) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2017-18)** ने समिति का **प्रथम मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः9 के अन्तर्गत **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

(5) **श्री सुरेश कुमार कश्यप, सभापति,सामान्य विकास समिति,(वर्ष 2017-18)** ने समिति का **तृतीय मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः10 के अन्तर्गत **लोक निर्माण विभाग** की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(6) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2017-18)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **तृतीय मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः18 के अन्तर्गत **उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग** की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का **चतुर्थ मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः14 के अन्तर्गत **पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य विभाग** की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है ।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने नाइजीरियाई समुंद्री लुटेरों द्वारा नौसेना दल के तीन हिमाचली युवकों के अपहरण एवं इराक में चार युवकों के अपहरण बारे में विस्तृत वक्तव्य दिया।

3.20 PM

5. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानः-

वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदानः-

अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बोधनः

"अब वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। सभा का समय बचाने के लिए मैं, मननीय मुख्य मंत्री जिनके पास वित्त विभाग भी है, की ओर से सभी मांगों को सभा में प्रस्तुत हुआ समझता हूँ।"

सभी मांगें प्रस्तुत हुई समझी गई।

मांग संख्याः 9 (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 9 , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित क्रमशः 19,94,23,21,000/- और 1,86,77,30,000/-रूपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्याः 9 पर सर्वश्री मुकेश अग्निहोत्री, अनिरूद्ध सिंह, श्रीमती आशा कुमारी, सर्वश्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, राम लाल ठाकुर, राजेन्द्र राणा, नन्द लाल, डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, राकेश सिंघा, पवन

कुमार काजल, विक्रमादित्य सिंह, आशीष बुटेल और श्री सतपाल सिंह रायजादा की ओर से 7 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री
2. श्री अनिरूद्ध सिंह
3. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
4. श्रीमती आशा कुमारी
5. श्री हर्षवर्धन चौहान
6. श्री जगत सिंह नेगी
7. श्री राम लाल ठाकुर
8. श्री राजेन्द्र राणा
9. श्री नन्द लाल
10. डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल
11. श्री राकेश सिंघा
12. श्री पवन कुमार काजल
13. श्री आशीष बुटेल
14. श्री सतपाल सिंह रायजादा

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

सदन की बैठक सायं 6.30 बजे मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई।